

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarपालिकabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

भेयर- इन- काउंसिल की बैठक दिनांक 13.07.2017

प्रस्ताव क्रमांक-2

राज्य प्रवर्तित योजना "पं. दीनदयाल उपाध्याय सर्वसमाज मांगलिक भवन योजनान्तर्गत" प्रस्ताव प्रेषित करने बाबत।

छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, नया रायपुर के पत्र क्र. /F-5-10/2017/18 नया रायपुर, दिनांक - 20.04.2017 द्वारा राज्य प्रवर्तित योजना "पं. दीनदयाल उपाध्याय सर्वसमाज मांगलिक भवन योजना" लागू किए जाने के साथ दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त दिशा-निर्देश अनुसार सर्वसमाज के मांगलिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सुव्यवस्थित आयोजनों हेतु सुविधा युक्त मांगलिक भवन का निर्माण किया जाना है। इस हेतु नगर निगम को राशि 300.00 लाख रु. अनुदान स्वीकृति होगा।

इस हेतु निकाय क्षेत्रान्तर्गत प.ह.नं. 01 खसरा नं. 55 रकबा 3.763 हे. एवं खसरा नं. 56/1 रकबा 0.8013 हे. के भाग का चयन कर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य शहरी विकास अभिकरण, रायपुर को प्रेषित किए जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

संकल्प -02

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई निकाय क्षेत्रान्तर्गत प.ह.नं. 01 खसरा नं. 55 रकबा 3.763 हे. एवं खसरा नं. 56/1 रकबा 0.8013 हे. के भाग का चयन कर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य शहरी विकास अभिकरण, रायपुर को प्रेषित किए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है।

है।


सचिव


महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarपालिकabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर- इन- काउंसिल की बैठक दिनांक 13.07.2017

प्रस्ताव क्रमांक-03

राज्य प्रवर्तित योजना पं. दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केन्द्र योजनान्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित किए जाने पर विचार।

छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, नया रायपुर के पत्र क्र./F-5-10/2017/18 नया रायपुर, दिनांक - 20.04.2017 द्वारा राज्य प्रवर्तित योजना "पं. दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केन्द्र योजना" लागू कर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

उक्त योजनान्तर्गत 05 ब्लॉक के दुकान तैयार किए जाने हैं, जिसके लिए अधिकतम राशि 3.75 लाख रू. प्रति ब्लॉक अनुदानि दिए जावेंगे।

उक्त योजना हेतु निकाय क्षेत्रान्तर्गत प.ह.नं. 01 खसरा नं. 55 रकबा 3.763 हे. एवं खसरा नं. 56/1 रकबा 0.8013 हे. प्रस्तावित स्थल है। अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

संकल्प -03

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई उक्त योजना हेतु निकाय क्षेत्रान्तर्गत प.ह.नं. 01 खसरा नं. 55 रकबा 3.763 हे. एवं खसरा नं. 56/1 रकबा 0.8013 हे. प्रस्तावित स्थल के अतिरिक्त दादर रोड, काली मंदिर रोड, जरवाय त्रिसंगम चौक, सिरसाकला निर्माणाधीन एम.बी.आर के पास, नया पानी टंकी एकता चौक भिलाई-3, में भी दुकान निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजे जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है।


सचिव


महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarपालिकabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर- इन- काउंसिल की बैठक दिनांक 13.07.2017

प्रस्ताव क्रमांक-04

राज्य प्रवर्तित योजना "DAY-NULM अन्तर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय स्थल" अन्तर्गत नवीन निर्माण का प्रस्ताव प्रेषित किए जाने पर विचार।

राज्य शहरी विकास अभिकरण, नया रायपुर के पत्र क्र./09/सूडा/SUH/2017/1629 नया रायपुर, दिनांक -12.06.2017 के तहत "पं. दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन" के तहत "शहरी बेघरों के लिए आश्रय स्थल" नवीन निर्माण की विस्तृत परियोजना की मांग की गई है।

उक्त योजना हेतु निकाय के वार्ड क्र. 01 हथखोज ट्रान्सपोर्ट नगर के खसरा नं. 248/1 रकबा 0.736 हे. के भाग में नवीन आश्रय स्थल का प्रस्ताव राशि 48.47 लाख रु. का तैयार किया गया है। स्थल चयन की पुष्टि एवं राज्य शहरी विकास अभिकरण रायपुर को भेजा जाना है।

अतएव स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किए जाने विचारार्थ प्रस्तुत।

संकल्प -04

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई निकाय के वार्ड क्र. 01 हथखोज ट्रान्सपोर्ट नगर के खसरा नं. 248/1 रकबा 0.736 हे. के भाग में नवीन आश्रय स्थल का प्रस्ताव राशि 48.47 लाख रु. का प्रकल्पन तैयार किया गया है। स्थल चयन की पुष्टि एवं राज्य शहरी विकास अभिकरण रायपुर को प्रस्ताव भेजे जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है।


सचिव


महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarपालिकabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर- इन- काउंसिल की बैठक दिनांक 13.07.2017

प्रस्ताव क्रमांक-5

मेयर-इन-काउंसिल की बैठक दिनांक -12.04.2017 में दिए गए निर्देशानुसार वाचनालय भवन के पुनरीक्षित Drawing & Design के वित्तीय लागत की स्वीकृति पर विचार एवं निर्णय।

मेयर-इन-काउंसिल की बैठक दिनांक - 12.04.2017 में चर्चा उपरान्त दिए गए निर्देशानुसार वाचनालय भवन हेतु स्वीकृत राशि 32.00 लाख रु. के लिए पुनरीक्षित Drawing & Design तैयार कर पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि 49.92 लाख रु. का तैयार किया गया है। अतएव पुनरीक्षित प्रस्ताव अनुसार राशि 49.92 लाख रु. की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति एवं निविदा आमंत्रण की अनुमति हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प -05

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई वाचनालय भवन को निर्माण का पुनरीक्षित प्राक्कलन अनुसार राशि 49.92 लाख रु. की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति निविदा आमंत्रण किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है।


सचिव


महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-वरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarपालिकabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर- इन- काउंसिल की बैठक दिनांक 13.07.2017

प्रस्ताव क्रमांक-6


कार्यालय भवन के प्रथम तल में निर्माण व जीर्णोद्धार हेतु पुनरीक्षित व्यय की वित्तीय स्वीकृति पर विचार।

कार्यालय भवन के प्रथम तल में अतिरिक्त कक्ष निर्माण व जीर्णोद्धार हेतु कलेक्टर सह प्रशासक के स्वीकृति आदेश दिनांक - 02.08.2016 द्वारा राशि 33,46,831.00 रु. की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। कार्य में वृद्धि व अतिरिक्त कार्य कराए जाने से कुल अंतिम देयक राशि 35,02,274.00 रु. का तैयार किया गया है। अतएव स्वीकृत लागत में अतिरिक्त व्यय राशि 1,55,443.00 रु. (4.64% अधिक है) तथा कुल पुनरीक्षित व्यय राशि 35,04,274.00 रु. की स्वीकृति निविदा शर्तों के तहत किया जाना उचित है। प्रकरण विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प -06

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई कार्यालय भवन के प्रथम तल में अतिरिक्त कक्ष निर्माण व जीर्णोद्धार हेतु पूर्व स्वीकृत राशि से अतिरिक्त व्यय राशि 1,55,443.00 रु. (4.64% अधिक है) तथा कुल पुनरीक्षित व्यय राशि 35,04,274.00 रु. की स्वीकृति किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है।


सचिव


महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarपालिकabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर- इन- काउंसिल की बैठक दिनांक 13.07.2017

प्रस्ताव क्रमांक-07

चन्दूलाल चन्द्राकर व्यवसायिक परिसर भिलाई-3 में आबंटित चबूतरो के संबंध में ।

निकाय क्षेत्रान्तर्गत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) के समय चन्दूलाल चन्द्राकर व्यवसायिक परिसर भिलाई-3 में कुल 214 नग चबूतरे निर्मित किये गये है। जिनमें व्यवस्थापन के तहत 188 नग चबूतरे आबंटित है। चबूतरे की कुल कीमत 15000/- निर्धारित किया गया जिसके अन्तर्गत पंजीयन राशि 3000/- रु एवं शेष राशि 300/- रु. मासिक किस्त पर भुगतान किया जाना था। मासिक 60/-रु एवं 100रु निर्धारित था। नगर पालिका परिषद गठन के पश्चात परिषद की सामान्य सभा के बैठक दिनांक 09.05.2003 में 18 प्रतिशत ब्याज सहित शेष प्रब्याजी राशि जमा कराने का निर्णय पारित किया गया। सामान्य सभा सम्मेलन दिनांक 27.07.2010 में शेष प्रब्याजी राशि को 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 01 वर्ष के अन्दर 04 समान किस्तों में जमा कराने का निर्णय लिया गया । उक्त अवधि में शेष राशि जमा नहीं किये जाने पर जमा राशि राजसात कर आबंटन निरस्त माना जावेगा। बकाया किराया राशि के संबंध में परिषद के निर्णय दिनांक 10.02.2006 को यथावत रखते हुये पालिका गठन दिनांक से 01 रूपया प्रतिदिन एवं 10.02.2006 से प्रतिदिन 02 रूपय की दर से वसूल करने का निर्णय लिया गया। बकाया किराया राशि 01 वर्ष में जमा करने पर ब्याज राशि में छूट प्रदान की गई । 01 वर्ष पश्चात 14 प्रतिशत वार्षिक अधिभार लिया जावे का निर्णय लिया गया। सामान्य सभा सम्मिलन दि. 08.08.2014 में पुनः एक बार 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्रब्याजी राशि जमा करने हेतु पत्र जारी दिनांक से 90 दिनों का अवसर प्रदान किया गया। व्यवसायियों द्वारा अधिभार एवं ब्याज माफी की मांग पर विचारार्थ सामान्य सभा दिनांक 30.03.2015 के अनुसार संपूर्ण प्रब्याजी राशि जमा करने हेतु दिनांक 30.04.2015 निर्धारित की गई।

उक्त अवधि में जमा करने वाले आबंटितों के ही प्रकरण में अधिभार छूट हेतु शासन को भेजा जावे। शासन स्वीकृति के उपरांत ही छूट का लाभ दिया जाने तथा स्वीकृति के अभाव में संपूर्ण अधिभार आबंटितों से लिये जाने का निर्णय लिया गया। कार्यालयीन पत्र क्रमांक /767/दिनांक 29.06.2015 द्वारा ऐसे कुल 99 आबंटितों जिन्होंने शेष प्रब्याजी राशि तथा किराया राशि जमा कराई की सूची संलग्नकर अधिभार राशि को माफ करने की अनुमति हेतु शासन को भेजा गया। तत्संबंध में किसी तरह की अनुमति अप्राप्त है, वर्तमान में किये गये सर्वेक्षण अनुसार विवरण निम्नानुसार है:-

आबंटित चबूतरे	-	188
व्यवसायगत आबंटितों	-	58
ऐसे आबंटितों जो व्यवसाय नहीं कर रहे	-	88
अन्य जिनके द्वारा कय कर लिया जाना	-	34

बताया जा रहा है।

किराये पर	-	03
-----------	---	----

विवादित	-	05
---------	---	----

रिक्त	-	26
-------	---	----

कुल	-	14
-----	---	----

गई उपरोक्तानुसार प्रकरण एम.आई.सी.के बैठक में रखा जाना हेतु प्रस्तावित।

संकल्प -07

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई जिन हितग्राहियों द्वारा आज तक पूर्ण प्रब्याजी राशि जमा नहीं किये है तथा राशि जमा करने के बाद भी पंजीयन नहीं कराया है, उन्हें नैसर्गिक न्याय के तहत अंतिम अवसर देते हुये 03 माह का समय दिया जावे तत्पश्चात उनका आबंटन निरस्त माना जावे की अनुशंसा के साथ सक्षम निर्णय हेतु परिषद में प्रकरण रखने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है।


सचिव


महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-वरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-ma. id- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarपालिकabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर- इन- काउंसिल की बैठक दिनांक 13.07.2017

प्रस्ताव क्रमांक-08

पार्षद निधि से निकाय क्षेत्रान्तर्गत उद्यान व खेलखूद सामग्री क्रय हेतु प्राप्त अनुशंसा अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति व निविदा आमंत्रण की कार्यवाही पर विचार एवं निर्णय।

पार्षद निधि से उद्यान खेदखूद सामग्री/बेंच क्रय हेतु पार्षद महोदय द्वारा अनुशंसा दी गई है। जो निम्नानुसार है:-

01. वार्ड क्रमांक-24	-	1.00 लाख रुपये
02. वार्ड क्रमांक-10	-	2.00 लाख रुपये
03. वार्ड क्रमांक-14	-	3.00 लाख रुपये
04. वार्ड क्रमांक-07	-	4.00 लाख रुपये
05. वार्ड क्रमांक-28	-	4.00 लाख रुपये
06. वार्ड क्रमांक-05	-	4.00 लाख रुपये
07. वार्ड क्रमांक-04	-	4.00 लाख रुपये
08. वार्ड क्रमांक-26	-	4.00 लाख रुपये
09. वार्ड क्रमांक-06	-	4.00 लाख रुपये
10. वार्ड क्रमांक-40	-	4.00 लाख रुपये
11. वार्ड क्रमांक-03	-	4.00 लाख रुपये
12. वार्ड क्रमांक-33	-	1.50 लाख रुपये
13. वार्ड क्रमांक-31	-	2.00 लाख रुपये
14. वार्ड क्रमांक-16	-	4.00 लाख रुपये
15. वार्ड क्रमांक-17	-	4.00 लाख रुपये
16. वार्ड क्रमांक-02	-	4.00 लाख रुपये
17. वार्ड क्रमांक-22	-	4.00 लाख रुपये

योग - 57.50 लाख रुपये

वर्तमान में उपरोक्तानुसार राशि रुपये 57.50 लाख रुपये की अनुशंसा प्राप्त की हुई है। अन्य पार्षदों के अनुशंसा के लिये कार्य सम्पादन हेतु रुपये 80.00 लाख की ई-निविदा आमंत्रित किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प - 08

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई उपरोक्तानुसार पार्षद निधि से रुपये 80.00 लाख की ई-निविदा आमंत्रित किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है।

सचिव

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarपालिकabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर- इन- काउंसिल की बैठक दिनांक 13.07.2017

प्रस्ताव क्रमांक-09

नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा में राजस्व वसूली के कार्य को निजी एजेंसी से कराये जाने के संबंध में।

नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा का भूगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, जो 40 वार्डों में बंटा हुआ है। निगम के राजस्व वसूली के कर्मचारी पर्याप्त नहीं हैं। जिसके कारण राजस्व का वसूली का कार्य (संपत्तिकर, समेकितकर, दुकान किराया, भूभाटक, जलकर, निर्यातकर, आदि) प्रभावित होते हैं। इन्हीं कर्मचारियों के द्वारा शासन के विविध कल्याणकारी कार्य जैसे जनगणना, मतगणना, पेंशन, राशन कार्ड आदि कार्यों का सर्वे आदि संचालित किया जाता है। इस तरह शासन के अतिरिक्त महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करने के कारण राजस्व की वसूली का कार्य प्रभावित होता है। राजस्व वसूली के कार्य लगातार प्रभावित होने के कारण शासन ने नगर निगमों में राजस्व वसूली के कार्य को निजी एजेंसी के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया है। इस योजना में इस निकाय को भी शामिल किया जावे का प्रस्ताव शासन को भेजा जाना प्रस्तावित है।

उक्त प्रस्ताव पर सलाहकार समिति ने अपना अभिमत दिया है कि राजस्व वसूली का कार्य सहायक राजस्व निरीक्षक से ही करवाने एवं उनके स्थान पर लिपिकों से विभागीय रूप से वसूली करावे निजी एजेंसी को ना सौंपने की अनुशंसा की गई प्रकरण एम.आई.सी. में रखा जाना प्रस्तावित।

संकल्प -09

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई उपरोक्तानुसार राजस्व वसूली का कार्य अन्य निगमों की तरह इस निगम में भी निजी एजेंसी से कराने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है।


सचिव


मेयर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarपालिकabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर- इन- काउंसिल की बैठक दिनांक 13.07.2017

प्रस्ताव क्रमांक-10

राजस्व अधिकारी के पद सृजित करते हुये श्री एम.आर.जंघेल रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर को संविदा नियुक्ती करने हेतु प्रस्ताव शासन को भेजने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

संकल्प -10

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई निकाय में राजस्व का कार्य संपन्न करने के लिये अनुभवी उच्च अधिकारी इस निकाय में काई नही होने के कारण रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर को राजस्व अधिकारी (संविदा) का पद सृजित करते हुये आवेदक श्री एम.आर.जंघेल की नियुक्ती संविदा में करने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है।



सचिव



महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarपालिकabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर- इन- काउंसिल की बैठक दिनांक 13.07.2017

प्रस्ताव क्रमांक-11

निकाय क्षेत्रान्तर्गत जर्जर/नवीन मार्गों के सीमेन्टीकरण एवं नाली निर्माण के प्रस्ताव प्रेषित किए जाने बाबत।

संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्र. /या.प्र.-5/2017/6390 नया रायपुर, दिनांक - 01.06.2017 द्वारा निकाय क्षेत्रान्तर्गत ऐसे मार्ग जो कि कच्चे/मेटल रोड है, पूर्व में निर्मित एवं वर्तमान में क्षतिग्रस्त पुराने सी.सी.रोड निर्माण एवं नाली निर्माण के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश हैं।

वार्ड पार्श्वों की मांग एवं सर्वेक्षण उपरान्त निकाय क्षेत्रान्तर्गत के वर्षों निर्मित एवं वर्तमान में क्षतिग्रस्त पुराने सी.सी.रोड, बी.टी.रोड एवं डब्लू.बी.एम.रोड निर्माण तथा नालियों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। तदनुसार कुल 963 कार्यो के निर्माण हेतु अनुमानित लागत राशि 8,157.55 रु. का प्रथम चरण (1st Stage) का प्रस्ताव तैयार किया जाकर संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर (छ.ग.) को प्रकरण दिनांक - 05.07.2017 को अग्रिम प्रेषित किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रकरण महापौर परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुशंसा हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प -11

प्रकरण प्रस्तुत हुआ विस्तृत चर्चा की गई तदनुसार कुल 963 कार्यो के निर्माण हेतु अनुमानित लागत राशि 8,157.55 लाख रूपय का प्रथम चरण (1st Stage) का प्रस्ताव संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर (छ.ग.) को प्रकरण दिनांक - 05.07.2017 को प्रेषित किया गया है कि पुष्टि किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है।



सचिव



महापौर

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID- cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarpalikabhilaicharoda.com, Phone No-0788-2283410, Fax No-0788-2284488

मेयर- इन- काउंसिल की बैठक दिनांक 13.07.2017

प्रस्ताव क्रमांक-12


निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में अतिथि नामांकित करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

संकल्प -12

प्रकरण पर विस्तृत चर्चा की गई। नगर निगम क्षेत्र में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अतिथियों को आमंत्रित/नामांकित करने के संबंध में सलाहकार समिति के अनुशंसा उपरान्त मेयर-इन-काउंसिल से अनुमोदन लिये जाने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। तदनुसार प्रकरण एम.आई.सी.में विचारार्थ रखे जाने हेतु प्रस्तुत।

प्रकरण पर अभी और चर्चा की जानी है का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।


सचिव


महापौर